…ायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 81/2021

1. सुरजाराम पुत्र हरखाराम जाति ओड निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. लाधुराम पुत्र हरखाराम जाति ओड निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र हरखाराम जाति ओड निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

2. शांति देवी पत्नी हरखाराम फौत

2/1 विधा देवी माता शांति देवी पत्नी हरखाराम पत्नी इमीचन्द जाति ओड निवासी लूढ़ाणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

2/2 रूकमा देवी माता शांति देवी पत्नी हरखाराम पत्नी जयमलराम जाति ओड निवासी लूढ़ाणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

2/3 रोशनी माता शांति देवी पत्नी हरखाराम पत्नी वकील जाति ओड निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

3. आरएमजीबी बैंक शाखा अयालकी जरिये शाखा प्रबन्धक

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

5. राजाराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना [illegible] अधि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:28 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री हरजिन्द्र सिह रमाणा अधिवक्ता --- प्रार्थीगण
2. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता -- अप्रार्थी सं.
3. श्री संजीव आहुजा अधिवक्ता -- अप्रार्थी सं. 5
4. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा -- अप्रार्थी सं. 4

23/06/2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 23/6/2022

प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हो चुका है जिसमे प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण संभावना है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2/1 से 2/3 की माता शांति देवी के नाम संयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 14 एमओडी के खाता सं. 117/112 के प.नं. 38/271 किला नं. 24, 25/1, 25/2 की 0.506 हैक, प.नं. 38/272 किला नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 23, 24/, 25/1, 25/2, 25/3 की 3.289 हैक. कुल 3.795 हैक. मे प्रार्थी सं. 1 का 1084/3795 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 1084/3795 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 का 1084/3795 हिस्सा, शांति देवी का 181/1265 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अपने पिता हरखाराम के देहान्त के पश्चात विरासतन प्राप्त हुई। पिता के देहान्त पश्चात अप्रार्थी सं. 2/1 ता 2/3 ने अपना हक त्याग प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे त्याग कर दिया है। प्रार्थीगण की माता शांति देवी का अपना 1/6 हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ। अब शांति देवी का देहान्त हो चुका है। जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1, 2/1 से 2/3 ही विधिक वारिसान है। इस कारण शांति देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2/1 से 2/3 ने अपना हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे छोड दिया है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के मध्य अपनी माता शांति देवी के जीवनकाल मे अच्छी मंदी, रास्ता खाला की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा हो चुका है जिसमे अप्रार्थीगण सं. 2/1 से 2/3 ने अपना हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे छोड दिया है । घरू बंटवारा निम्न प्रकार से है-

क. प्रार्थी सं. 1 को प्राप्त भूमिः-

चक 14 एमओडी के प.नं. 38/272 किला नं. 5/1/.177, 5/2/.051, 5/3/.025, 6/1/.203, 6/2/.025, 6/3/.025, 15/1/.203, 15/2/.025, 15/3/.025, 16/1/.203, 16/2/.025, 16/3/.025, 25/1/.203, 25/2/.025, 25/3/.025, 24/.165 कुल 1.430 हैक. नहरी मय गैर मुमाकिन खाल रास्ता खातेदारी

ख प्रार्थी सं. 2 को प्राप्त भूमिः-

चक 14 एमओडी के प.नं. 38/271 किला नं. 2[illegible]/1/.228, 25/2/.025 की 0.506 हैक., प.नं. 38/272 [illegible] 15/.169, 18 [illegible] 0.675 हैक. इस प्रकार कुल 1.181 हैक. नहरी मय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:28 IST
Reason: SelfAttested

ख अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त भूमिः-

चक 14 एमओडी के प.नं. 38/272 किला नं. 4/1/.228, 4/2/.025, 7, 13/.084, 14, 17, 24/.088 कुल 1.184 हैक.,नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी

23.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थीगण घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इसलिए प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

प्रार्थीगण को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है व इसी अनुसार अपना खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है।

अप्रार्थी सं. 1 जो कि लालची किस्म का व्यक्ति है। अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी मे से अच्छी कृषि भूमि को औने पौन दामों मे रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने पर आमाद है व अच्छी मे से अच्छी कृषि भूमि को बेचान करना चाहता है। यदि वह अपने मकसद मे कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना असम्भव होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। इसलिए प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकरदार है कि अप्रार्थीगण उकत कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं. 1 तहसील पीलीबंगा के चक 14 एमओडी के खाता सं. 117/112 के प.नं. 38/271 किला नं. 24, 25/1, 25/2 की 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 23, 24/, 25/1, 25/2, 25/3 की 3.289 हैक. कुल 3.795 हैक. को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत हुआ कि अप्रार्थी ने अपनी 1.054 हैक. का बेचान बरूवे पंजीयन बैयनामा राजराम पुत्र गोपालराम जाति जाट साकिन अयालकी को कर दिया है जिसमे मिन अप्रार्थी का कोई हक व हिस्सा अपने नाम से शेष न नही रहा है। मिन अप्रार्थी की माता स्व. शान्ति देवी के नाम से 0.543 हैक. दर्ज राजस्व अभिलेख है।

वादग्रस्त रकबा पैतृक कृषि [illegible] अप्रार्थी की माता शान्ति देवी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज [illegible] की हैसियत से मिन अप्रार्थी का 1/6 हिस्सा का हक व [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:28 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त रकबा का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कोई घरा घरू बंटवारा नही हुआ, मात्र काश्त की सहुलियत के हिस्सानुसार काश्त करते आ रहे है। मद सं."ग" मे मिन अप्रार्थी के कब्जा काश्त की वर्णित कृषि भूमि गलत दर्शायी है जबकि मिन अप्रार्थी के पास प.

23.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नं. 38/272 के किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 मे कब्जा काश्त थी और उसी कब्जा काश्त अनुसार मिन अप्रार्थी ने कब्जा केता को सुपुर्द किया था। माता के हक व हिस्सा की शेष भूमि मिन अप्रार्थी के पास प.नं. 38/272 के किला नं. 24 मे है।

अप्रार्थी को घरू दिगर कार्यो के लिए रूपयों की आवश्यकता थी जिसके कारण से मिन अप्रार्थी ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का हिस्सा मे ही बेचान अप्रार्थी सं. 5 को किया है बल्कि निर्धारित पत्थर नं. या किला नं. का बेचान नही किया है। मिन अप्रार्थी रिकॉडर्ड खातेदार काश्तकार था और मिन अप्रार्थी अपने हक व हिस्सा को विकय करने को स्वतंत्र था इसलिए मिन अप्रार्थी ने महज अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बेचान किया है जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय व अपरिमय क्षति नही होकर मिन अप्रार्थी को तंग परेशान किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण से प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्र आधारहीन एवं शुन्य होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 5 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत हुआ कि अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा खरीदशुदा भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 14 एमओडी के प.नं. 38/271, 38/272 इस प्रकार कुल 3.795 हैक. मे से 0.5819 हैक. जो कि अप्रार्थीगण के द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 06.11.2020 को व 0.5021 हैक. जरिये बैयनामा दिनांक 05.07.2021 को इस प्रकार कुल 1.084 हैक. भूमि अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा खरीद कर रखी है जिसका इन्तकाल स्थगन आदेश होने के कारण दर्ज नही हो पाया है। इस कारण मिन अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा खरीद की गई भूमि पर व प्रार्थीगण किसी प्रकार से खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नही है।

अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा खरीद की गई भूमि पर काबिज नही है तथा उक्त खरीद शुदा भूमि पर अप्रार्थी सं. 5 का ही कब्जा है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि कुल 1.084 हैक. भूमि को छोडकर खाता तक[illegible]ने के हकदार है।

अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा उक्त [illegible] प्रतिवादी सं. 1 से खरीद की है तथा जिसका कब्जा अप्रार्थी सं. 5 को सौंप र[illegible] है जिस पर अप्रार्थी सं. 5 बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहा है तथा काफी खर्चा करके भूमि का सुधार भी कर रखा है अप्रार्थी सं. 5 के हक व हिस्सा पर किसी कदर प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्रापत करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:28 IST
Reason: SelfAttested

23.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अधिकारी नही है। अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा की गई भूमि पर प्रार्थीगण को किसी भी कदर से सुविधा का सन्तुलन या प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति तीनो आधार प्राप्त नही है।

यहां यह भी उल्लेख किया जाना समिचिन है होगा कि अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 से खरीद की है तथा अप्रार्थी सं. 1 के मन मे अब बेजा लालच आ गया है व अप्रार्थी सं. 5 को नुकसान पहुंचाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 ने अपने भाईयों / प्रार्थीगण से मिलीभगत करके एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है जिस कारण अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा खरीद की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाना सम्भव नही है जिस कारण अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

लिहाजा जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2/1 से 2/3 की तलब बन्द करने व बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2/1 से 2/3 की तलबी बन्द की जाती है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादग्रस्त रकबा संयुक्त खाता क रकबा है तथा अप्रार्थी सं. 1 बिना खाता तकसीम करवाये अच्छी मे से अच्छी भूमि विकय करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं.1 अपने इन मनसुबो मे कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी। इसलिए उक्त परिस्थितियों को देखते हुए ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा कनर्फम की जावे। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किये कि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 5 को कर दिया है तथा बैयनामा मे किसी प्रकार के निर्धारित किलों का बेचान नही किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं. 5 को क्षति पहुंचाने के उद्देश से प्राप्त की है जो कि खारिज फरमाई जावे। अप्रार्थी सं. 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किये कि अप्रार्थी सं. 5 ने अप्रार्थी सं. 1 से भूमि खरीद ली है तथा बैयनामा का इन्तकाल अप्रार्थी सं. 5 के नाम से राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज न हो इसलिए उक्त स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो कि विधि विरूद्व होने के कारण खारिज फरमाया जावे। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर अप[illegible] है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:28 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हिस्सा की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं. 5 को किया है। किला विशेष या रकबा विशेष का का बेचान नही किया है। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि बेचान का राजस्व रिकॉर्ड मे अन्तरण न्यायोचित बनता है। अप्रार्थीगण ने जैसा कि अपनी बहस मे कथन किया है कि उक्त

23.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

संबंध मे विभिन्न उच्चतम न्यायालयों द्वारा समय – समय द्वारा आदेश पारित किये गये है कि सहखातेदार की खातेदारी भूमि के हिस्सा तक रहन बैय व अन्तरण से रोका नही जा सकता है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे विफल रहे है। अतः दिनांक 28.06.2021 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

23.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:53:28 IST
Reason: SelfAttested